संख्या– /उन्तीस(2)/2025–ई0प0सं0–49084

प्रेषक,

डी0एम0एस0 राणा,
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक जुलाई, 2025

विषय :– उत्तराखण्ड जल संस्थान को डी0पी0आर0 निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2141/वि0अनु0/02/शा0अनु0/ 2025–26 दिनांक 02.07.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड जल संस्थान के स्तर पर विभिन्न पेयजल/सीवरेज योजनाओं के डी0पी0आर0 निर्माण एवं तत्सम्बन्धी कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राविधानित बजट के सापेक्ष ₹ 150.00 लाख (₹ एक करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii) स्वीकृत धनराशि जिस प्रयोजन हेतु अवमुक्त की जा रही है, उसी कार्य में व्यय की जाएगी।

(iv) स्वीकृत धनराशि का उपयोग जिस योजना/योजनाओं के प्राक्कलन तैयार किये जाने में किया जा रहा है, के सम्बन्ध में योजनावार आख्या उपलब्ध कराते हुए उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(v) स्वीकृत की जा रही धनराशि का योजनावार आवंटन एवं व्यय योजना की अनुमोदित लागत की सीमा तक ही किया जाय। योजना की अनुमोदित लागत से अधिक आवंटन कदापि न किया जाय।

(vi) उक्त योजनाओं के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 वित्त नियम संग्रह

खण्ड–1(वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चि किया जाय।

2– उक्त धनराशि का आहरण चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– लेखाशीर्षक–2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–005–सर्वेक्षण तथा जांच पड़ताल–02–डी0पी0आर0 निर्माण–00– 42–अन्य विभागीय व्यय के नामें डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को संलग्न कम्प्यूटर आवंटन आई0डी0 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या–I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31.03.2025 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31.03.2025 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि

Digitally signed by Dhruve Mohan Singh Rana
Date: 30-07-2025 13:57:32

धवदीय,

(डी0एम0एस0 राणा)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0– (1)/उन्तीस(2)/2025–ई0प0सं0–49084, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
5. बजट निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
8. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

Digitally signed by Vivek Kumar Jain
Date: 30-07-2025 15:27:30

(विवेक कुमार जैन)
उप सचिव।